परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 27 जनवरी, 1976 को 11-00 बजे पूर्वान्ह में हुयी उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1976 की प्रथम बैठक की कार्यवृत्त ।

(4)

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1) श्री वी0एस0कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2) श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
3) श्री सत्तार अहमद		सदस्य
4) श्री के0एम0श्रीवास्तव	उप सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
5) श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

पद सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 26 नवम्बर, 1975 को हुई वर्ष 1975 की पाँचवी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	1/(1)/76	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।
2)	परिषद् की वर्ष 1975 की पाँचवी बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 1975 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	1/(2)/76	परिषद् ने वर्ष 1975 की पाँचवी बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 1975 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	सार्वजनिक उद्योग स्पोर्टस नियंत्रण बोर्ड को रू0 1,000/= प्रतिवर्ष चन्दा देने के सम्बन्ध में ।	1/(3)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से प्रस्तुत किये गये सार्वजनिक उद्योग स्पोर्टस नियंत्रण बोर्ड को रू0 1,000/= प्रतिवर्ष चन्दा देने के संबंध में विचार किया जो सर्वसम्मति से अगली बैठक में पुनः विचार तथा निर्णय हेतु स्थगित कर दिया गया ।
4)	अंशदेय निर्वाह निधि (सी0पी0एफ0) अग्रिमों की लेखा-प्रणाली के सरलीकरण के सम्बन्ध में ।	1/(4)/76	परिषद् ने प्रस्तुत किये गये परिषद् कर्मचारियों के अंशदेय निर्वाह निधि (सी0पी0एफ0) अग्रिमों की लेखा-प्रणाली के सरलीकरण के संबंध में शासन द्वारा परिवर्तित प्रणाली परिषद् में भी अपनाने के लिये सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की । साथ ही साथ शासन द्वारा निधारित प्रपत्र पर, एक तथा दो में, प्रस्तावित संशोधन की भी स्वीकृति दी ।
5)	परिषद् की निधि अनुसूचित बैंकों में संक्रमण कराने के सम्बन्ध में ।	1/(5)/76	परिषद् ने परिषद् की निधि अनुसूचित बैंकों में संक्रमण करने के सम्बन्ध में विचार किया तथा सर्वसम्मति से आवश्यकतानुसार समय समय पर सभी राष्ट्रीकृत एवं अनुसूचित बैंकों में खाता खोलने तथा परिषद् को अपने निधि को वहां रखने की स्वीकृति प्रदान की । साथ ही साथ परिषद् ने सर्वसम्मति से बैंकों में खाता खोलने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया ।
6)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, काशीपुर के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर नियोजन समिति (केन्द्रीय बुन्देलखण्ड व पर्वतीय क्षेत्र) के निर्णयों की पुष्टि ।	1/(6)/76	परिषद् ने भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, काशीपुर के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर नियोजन समिति की आख्या पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से समिति की संस्तुतियों का पुष्टिकरण करते हुये यह निर्णय लिया कि सभी आपत्तियाँ बलहीन है और उन्हें खारिज कर दिया

क0पृ0उ0

1	2	3	4
			जाय तथा योजना में समाविष्ट भूमि अर्जित की जाय । साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि योजना के अन्तर्गत जिन भू-स्वामियों की भूमि अर्जित की जाय उन्हें आवंटन हेतु नियमानुसार इच्छा व्यक्त करने पर योजना के अन्तर्गत विकसित भू-खण्ड/निर्मित भवन प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाय ।
7)	योजना सं0-12 रोजगार दफ्तर के सामने गृहस्थान एवं भूमि विकास योजना, झाँसी ।	1/(7)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से योजना सं0-12, रोजगार दफ्तर के सामने गृहस्थान एवं भूमि विकास योजना, झाँसी को विचार-विमर्श के पश्चात् परित्याग करने की स्वीकृति दी ।
8)	कानपुर सड़क पर गृहस्थान योजना संख्या-10, झाँसी ।	1/(8)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से कानपुर सड़क पर गृहस्थान योजना सं0-10, झाँसी पर विचार-विमर्श के पश्चात् परित्याग करने की स्वीकृति दे ।
9)	दातव्य तथा शिक्षण संस्थाओं को परिषद् द्वारा भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।	1/(9)/76	परिषद् ने दातव्य तथा शिक्षण संस्थाओं को परिषद् द्वारा भूमि दिये जाने के संबंध में टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में दिये गये 'गाइड लाइन्स' पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से उनकी स्वीकृति प्रदान की ।
10)	परिषद् के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में ।	1/(10)/76	परिषद् ने परिषद् के कार्यकलापों के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी का अवलोकन किया ।
11)	परिषद् के कार्य-कलापों की प्रगति ।	1/(11)/76	परिषद् ने परिषद् के कार्य-कलापों की प्रगति के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी का अवलोकन किया । साथ ही साथ यह इच्छा व्यक्त की कि इस प्रकार की सूचना में आवंटन के लिये तैयार की गई सम्पत्ति के पूरे मूल्य का भी उल्लेख होना चाहिये ।
12)	भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एण्ड जनरल डेवलपमेन्ट स्कीम जोन नं0-2, वाराणसी में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित निर्माणों के अर्जन के संबंध में ।	1/(12)/76	परिषद् ने भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एण्ड जनरल डेवलपमेन्ट स्कीम, जोन-2, वाराणसी में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित निर्माणों के अर्जन के संबंध में प्रस्तुत की गयी समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया तथा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जवाहर कोआपरेटिव सोसायटी के पास पहले ही काफी भूमि अर्जन से मुक्त की जा चुकी है अतः इनको कोई अतिरिक्त भूमि देने का औचित्य नहीं है । परिषद् ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि यदि सोसायटी इन भूखण्डों को लेना चाहती है तो वह उसके क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल की भूमि किसी दूसरे स्थान पर परिषद् के पक्ष में हस्तान्तरित करने को तैयार हो तो उनके प्रार्थनापत्र पर विचार किया जा सकता है । सोसायटी को एतद्नुसार सूचित कर दिया जाय ।
13)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, काशीपुर (नैनीताल) ।	1/(13)/76	परिषद् ने भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना काशीपुर (नैनीताल) योजना को उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 की धारा 31(2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के लिये सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की ।

कृ0पृ0उ0

(6)

1	2	3	4
14)	परिषद् के अनुमोदनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखें (बैलेन्स शीट) ।	1/(14)/76	परिषद् ने वित्तीय वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखें (बैलेन्स शीट) का अवलोकन किया तथा सर्वसम्मति से उसका अनुमोदन किया ।
15)	पिछले तीन वर्षों में परिषद् के अभियन्त्रण खण्डों तथा उपखण्डों द्वारा किये गये व्यय का विवरण ।	1/(15)/76	परिषद् ने पिछले तीन वर्षों में परिषद् के अभियन्त्रण खण्डों तथा उपखण्डों द्वारा टिप्पणी में प्रस्तुत किये गये व्यय के विवरण का अवलोकन किया ।
16)	परिषद् द्वारा आवंटित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में गाइड लाइन्स ।	1/(16)/76	परिषद् ने परिषद् द्वारा आवंटित सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में टिप्पणी के परिशिष्ट 'क' में प्रस्तुत की गई 'गाइड लाइन्स' पर विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से उनका अनुमोदन किया ।
17)	राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा परिषद् से भवन क्रय करने पर भवन को राज्य सरकार के पक्ष में बन्धक रखने के सम्बन्ध में ।	1/(17)/76	परिषद् ने राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा परिषद् से भवन क्रय करने पर भवन को राज्य सरकार के पक्ष में बन्धक रखने के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि यदि राज्य कर्मचारी शासन से ऋण लेकर परिषद् के भवनों का मूल्य चुकाये व यह धनराशि भवन के कुल मूल्य से कम हो तो उन्हें आवंटित भवन शासन के पक्ष में बन्धक रखने की अनुमति दे दी जाय तथा शेष धन वे किस्तों में परिषद् के नियमानुसार अदा करें ।
18)	लखनऊ की इन्दिरा नगर योजना में श्री शिव कुमार वर्मा, स्थानिक अभियन्ता को लाटरी पध्दिति से आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन ।	1/(18)/76	अध्यक्ष महोदय ने लखनऊ की इन्दिरा नगर योजना में श्री शिव कुमार वर्मा, स्थानिक अभियन्ता को लाटरी पध्दिति से आवंटित भूखण्ड के परिवर्तन करने के सम्बन्ध में एक टिप्पणी परिषद् के समक्ष रखी । विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से परिषद् ने यह निर्णय लिया कि श्री वर्मा को भूखण्ड संख्या बी-1051 के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी-149 आवंटित कर दी जाय ।

==========